

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-03/2013-14/ 15 /मत्स्य, राँची, दिनांक 06.10.2016

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-53 (रा0यो0 को के0स0यो0) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत निर्गित स्वीकृत्यादेश के लक्ष्य में संशोधन की स्वीकृति के संबन्ध में।

प्रसंग- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-08 दिनांक 24.05.2016 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0-679 एवं 680 दिनांक 24.05.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0-08 दिनांक 24.05.2016 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0-679 एवं 680 दिनांक 24.05.2016 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 माँग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के बजट उपबंध के (रा0यो0 को के0स0यो0) अंतर्गत मो0 698.00 लाख (छः करोड़ अठानबे लाख) रु0 मात्र राज्यांश मद से तथा मो0 698.00 लाख (छः करोड़ अठानबे लाख) रु0 मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मो0 1396.00 लाख (तेरह करोड़ छियानबे लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत मछुआ आवास निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित कर “Blue Revolution : Integrated Development and Management of Fisheries” रखा गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें पूर्व की भाँति राज्यांश 50 प्रतिशत एवं केन्द्रांश 50 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस चालू योजना हेतु भारत सरकार के पत्रांक 27035/19/2015-एफ0वाई0(IV) दिनांक 20 मई, 2016 एवं पत्रांक 31013/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा इस योजना का क्रमशः प्रशासनिक अनुमोदन तथा राशि विमुक्त की गई है। भारत सरकार के पत्रांक 27035/19/2015-एफ0वाई0(IV) दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा प्रति मछुआ आवास का दर 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रु0 निर्धारित की गयी है। उक्त दर पर झारखण्ड में भी मछुआ आवास का निर्माण किया जाएगा।

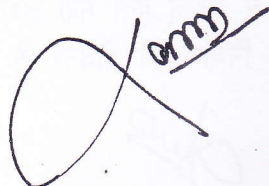
3. भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन के आलोक में आवास की इकाई लागत एवं लक्ष्य को परिवर्तित करते हुए मो0 250.20 लाख (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार) रु0 मात्र राज्यांश मद से तथा मो0 250.20 लाख (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार) रु0 मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मो0 500.40 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर मछुआ आवास निर्माण की योजना के लक्ष्य में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. सशोधित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है ।

मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पूँजीगत परिव्यय

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना (राज्यांश) विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53P440500796020545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण 45-मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500796020545		
		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं० में)	प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य (रु० में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
1	रॉची	10	600000.00	600000.00
2	गुमला	10	600000.00	600000.00
3	सिमडेगा	10	600000.00	600000.00
4	लोहरदगा	10	600000.00	600000.00
5	लातेहार	11	660000.00	660000.00
6	पूर्वी सिंहभूम	10	600000.00	600000.00
7	पश्चिमी सिंहभूम	10	600000.00	600000.00
8	सरायकेला	15	900000.00	900000.00
9	दुमका	10	600000.00	600000.00
10	जामताड़ा	10	600000.00	600000.00
11	पाकुड़	10	600000.00	600000.00
12	साहेबगंज	10	600000.00	600000.00
कुल योग :		126	7560000.00	7560000.00

15
6-10-15





क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना राज्यांश: विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53P440500789020545 केन्द्रांश: विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500789020545		
		आवास का प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं० में)	आवास का प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य (रु० में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
1	रौंची	4	240000.00	240000.00
2	खूंटी	4	240000.00	240000.00
3	गुमला	4	240000.00	240000.00
4	सिमडेगा	4	240000.00	240000.00
5	लोहरदगा	4	240000.00	240000.00
6	लातेहार	4	240000.00	240000.00
7	पलामू	4	240000.00	240000.00
8	गढ़वा	4	240000.00	240000.00
9	पूर्वी सिंहभूम	4	240000.00	240000.00
10	पश्चिमी सिंहभूम	4	240000.00	240000.00
11	सरायकेला	4	240000.00	240000.00
12	हजारीबाग	4	240000.00	240000.00
13	रामगढ़	4	240000.00	240000.00
14	कोडरमा	4	240000.00	240000.00
15	बोकारो	4	240000.00	240000.00
16	धनबाद	4	240000.00	240000.00
17	गिरिडीह	4	240000.00	240000.00
18	चतरा	4	240000.00	240000.00
19	देवघर	9	540000.00	540000.00
20	दुमका	4	240000.00	240000.00
21	जामताड़ा	4	240000.00	240000.00
22	पाकुड़	4	240000.00	240000.00
23	साहेबगंज	4	240000.00	240000.00
24	गोड्डा	4	240000.00	240000.00
कुल योग :		101	6060000.00	6060000.00

[Handwritten signature]

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन (राज्यांश) विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53P0440500101020545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण 45-मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500101020545		
		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं० में)	प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य (रु० में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
1	खूंटी	15	900000.00	900000.00
2	पलामू	15	900000.00	900000.00
3	गढ़वा	15	900000.00	900000.00
4	हजारीबाग	15	900000.00	900000.00
5	रामगढ़	15	900000.00	900000.00
6	कोडरमा	15	900000.00	900000.00
7	बोकारो	15	900000.00	900000.00
8	धनबाद	15	900000.00	900000.00
9	गिरिडीह	15	900000.00	900000.00
10	चतरा	15	900000.00	900000.00
11	देवघर	25	1500000.00	1500000.00
12	गोड्डा	15	900000.00	900000.00
कुल योग :		190	11400000.00	11400000.00

5. भारत सरकार के पत्रांक 31030/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा केन्द्रांश मद में 250.20 लाख (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार) रु० विमुक्त हैं ।

6. विभागीय राज्यादेश सं०-08 दिनांक 24.05.2016 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं०-679 एवं 680 दिनांक 24.05.2016 के अन्य सभी कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगी।

15
6.10.16

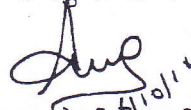
(Signature)

विश्वासभाजन
(Signature)
6.10.16
(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 15 मत्स्य / राँची, दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 15 मत्स्य / राँची, दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 15 मत्स्य / राँची, दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)/सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।




सरकार के विशेष सचिव।